



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-28082025-265761
CG-OR-E-28082025-265761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3829]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2025/भाद्र 5, 1947

No. 3829]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2025/BHADRA 5, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 27 अगस्त, 2025

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत सूचना

का.आ. 3934(अ).—जबकि, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (पूर्व तट रेलवे, निर्माण संगठन) की अधिसूचना संख्या एसओ 90(ई) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii), दिनांक 3 जनवरी, 2025 में प्रकाशित (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) और रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 ए की उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया है, केंद्र सरकार विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के उद्देश्य से उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करती है, अर्थात्, आंध्रप्रदेश राज्य के विशाखपट्टणम जिले में विशाखपट्टणम(वीएसकेपी)-गोपालपट्टणम(जीपीटी) (15.31 किमी.) के बीच तीसरी और चौथी लाइन।

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के अंतर्गत दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् "साक्षी" तेलुगू (विशाखपट्टणम संस्करण) दिनांक 05 फरवरी, 2025 और "द टाइम्स ऑफ इंडिया" अंग्रेजी (विशाखपट्टणम संस्करण) दिनांक 06 फरवरी, 2025 में प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि, उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन पर, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णतः केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना के अंतर्गत आने वाली संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, अर्थात् आंध्रप्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में “विशाखपट्टणम(वीएसकेपी)-गोपालपट्टणम(जीपीटी) (15.31 किमी.) के बीच तीसरी और चौथी लाइन”।

जिले का नाम: - विशाखपट्टणम

मंडल का नाम: - महारानीपेटा

अनुलग्नक-I

क्र. सं.	गाँव का नाम	टीएस.सं./ ब्लॉक संख्या	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)	अधिग्रहित किए जाने वाला क्षेत्र (विभागीय न्यायालयों में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किए जाने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्लीपुरम वार्ड	ब्लॉक संख्या 07, टीएस संख्या 15	0.129	0.016	0.052	0.006	नगरपालिका सड़क
2	अल्लीपुरम वार्ड	ब्लॉक संख्या 07, टीएस संख्या 150	0.561	0.220	0.227	0.089	नगरपालिका बौदारा सड़क
		कुल	0.690	0.236	0.279	0.096	

[फा. सं. CE/CON/JDB at VSKP/VSKP-GPT 3rd & 4th Line/SRP/20E]

अजय कुमार सामल, चीफ इंजीनियर (निर्माण -II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 27th August, 2025

Notice Under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 3934(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (East Coast Railway, Construction Organisation), Notification number, S.O. 90 (E). dated the 3rd January, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the the 3rd January, 2025 (herein after referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of

Special Railway Project, namely, “3rd & 4th Line in between Visakhapatnam (VSKP)- Gopalapatnam (GPT) (15.31 Km.)” in Visakhapatnam district in the state of Andhra Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspapers namely "Sakshi" in Telugu (Visakhapatnam Edition) dated 05th February, 2025, and "The Times of India" in English (Visakhapatnam Edition) dated 06th February, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project, namely “3rd & 4th Line in between Visakhapatnam (VSKP)- Gopalapatnam (GPT) (15.31 Km.)” in Visakhapatnam district in the state of Andhra Pradesh.

Name of District: - Visakhapatnam

Name of Mandal: - Maharanipeta

Annexure-I

Sl. No.	Name of the Village	Ts.No./ Block No	Total area (in Ac. Cts)	To be Acquired area (in Ac. Cts)	Total area (in Ha)	To be Acquired area (in Ha)	Type of Land
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allipuram Ward	Block No.07, T.S.No.15	0.129	0.016	0.052	0.006	Municipal Road
2	Allipuram Ward	Block No.07, T.S.No.150	0.561	0.220	0.227	0.089	Municipal Bowdara Road
		Total	0.690	0.236	0.279	0.096	

[F. No. CE/CON/JDB at VSKP/VSKP-GPT 3rd & 4th Line/SRP/20E]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)